# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

**निगरानी संख्या–952 / 2017 / बीकानेर**

नरेन्द्र बैद, डायरेक्टर के.ए.प्रोजेक्ट (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड,
मीना नर्सिंग हेाम के सामने, रानी बाजार, बीकानेर ....प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये भूमि कर निर्धारण अधिकारी,
उपंपजीयक द्वितीय, बीकानेर ...अप्रार्थी

**एकलपीठ**
**श्री नत्थूराम, सदस्य**

**उपस्थित : :**
श्री अशोक नाथ
अभिभाषक ....प्रार्थी की ओर से
श्री रामकिशोर खदाव
उप–राजकीय अभिभाषक ....अप्रार्थी की ओर से

**निर्णय दिनांक : 20.08.2018**

**निर्णय**

1. यह निगरानी प्रार्थी द्वारा विद्वान उपमहानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक एवं अपीलीय अधिकारी (भूमि कर) बीकानेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के आदेश दिनांक 09.03.2017 अपील संख्या 01 / 2017 के विरूद्व राजस्थान वित्त अधिनियम, 2006 (जिसे आगे **'वित्त अधिनियम 2006'** कहा गया है) की धारा 51 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने ग्राम खारा तहसील व जिला बीकानेर में स्थित अपने खातेदारी की 20 हैक्टर कृषि भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन कराया गया। प्रार्थी ने निगरानी में यह कथन किया है कि उक्त संपरिवर्तन भूमि में से प्रार्थी द्वारा वर्ष 2006–07 में कुल 7808 वर्ग मीटर भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा व वर्ष 2007–08 में 24939 वर्गमीटर भूमि का बेचान किया गया। तत्पश्चात् वर्ष 2008–09 में भूमि कर निर्धारण अधिकारी (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा गया है) द्वारा दिनांक 11.06.2014 को आदेश पारित कर 1,50,000 / – रू व वर्ष 2009–10 के लिए 80,000 / – भूमि कर निर्धारित किया। प्रार्थी द्वारा उपरोक्त आदेश के विरूद्व अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील प्रस्तुत की जो निर्णय दिनांक 09.03.2017 द्वारा अस्वीकार की गई है जिसके विरूद्व प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

लगातार............2

3. निगरानी दर्ज की जाकर रिकार्ड व अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये।

4. बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

5. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की ओर से कथन किया गया कि उसे विधिंवत सुनंवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इंस बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया है कि उसने वर्ष 2006–07 में 7808 वर्गमीटर, वर्ष 2007–08 में 24939 वर्गमीटर, वर्ष 2008–09 में 75372 वर्गमीटर ओर वर्ष 2009–10 में 40226 वर्गमीटर भूमि का जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों द्वारा विक्रय दिया गया था तो इस भूमि पर उसके विरूद्व करारोपण नहीं किया जा सकता था। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं है। इन्होंने निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णय निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

6. विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है, अतः निगरानी खारिज की जावें।

7. हमनें पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

8. अपीलीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार विचाराधीन प्रकरण में भूमि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वर्ष 2008–09 हेतु दिनांक 11.06.2014 को आदेश पारित कर 1,50,000/– रू व वर्ष 2009–10 के लिए 80,000/– भूमि कर निर्धारित किया। अपीलीय न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध निर्णय दिनांक 11.06.2014 में प्रार्थी की उपस्थिति का कोई उल्लेख नहीं है। यह निर्णय पूर्व निर्णय दिनांक 28.02.2014 में संशोधन बाबत् है परन्तु संशोधन के समय प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु नोटिस जारी करने का कोई उल्लेख नहीं है। प्रार्थी की ओर से रिव्यु प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया है जो निर्णय दिनांक 12.01.2016 द्वारा निरस्त किया गया है। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी को सुनवाई का विधिवत अवसर प्रदान नहीं किया गया है। प्रार्थी का निगरानी में यह भी कथन है कि उसके द्वारा कुछ भूमि विक्रय कर दी गई है जिसे कर निर्धारण में शामिल नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार प्रकरण में गुणावगुण पर विचार किया जाना है तथा प्रार्थी को सुनवाई का विधिवत अवसर भी प्रदान किया जाना है जिससे प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित एवं विधिसम्मत है।

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं करने के कारण विधिसम्मत नही होने के कारण निगरानी आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निगरानीधीन आदेश निरस्त किये जाते है तथा प्रकरण भूमि कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे उभयपक्ष को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए पुनः नियमानुसार एवं विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 15.10.2018 को पेश हों।

10. निर्णय सुनाया गया।

( नत्थूराम )
सदस्य